


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज डॉ. चन्द्र भानु राजपुरोहित , एडवोकेट 417-बी, बापू नगर (विस्तार) आई. जी. पब्लिक स्कूल के पीछे, पाली (राजस्थान) 306401 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रानी प्रथम सूचना अपील संख्या :- 87/2021 जीसीएमएस नं. :- 2021/325 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>4/3/22</p>	<p align="center">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 13.09.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रानी से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा ना तो अपील का आदिनांक जवाब पेश किया गया है व ना ही उनके प्रतिनिधी सुनवाई के दौरान उपस्थित आये है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी। साथ ही लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा आरटीआई एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील का जवाब समय पर प्रस्तुत नहीं करना राज्य कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रानी को सख्त हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न की जावे और समय पर जवाब प्रस्तुत करे अन्यथा आपके विरुद्ध 17 सीसीए रूल्स के तहत कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे। निर्णय आज दिनांक 04/3/22 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <p align="center">  नमित मेहता प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	